

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/281
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00249
CICOM/R/2018/00946

दिनांक: 05.11.2018

अपीलकर्ता : श्री ए. के. सिंह,
4/372, डीएस ब्लॉक,
भोलानाथ नगर, शाहदरा,
दिल्ली - 110032.

निर्णय की तारीख: 05.11.2018

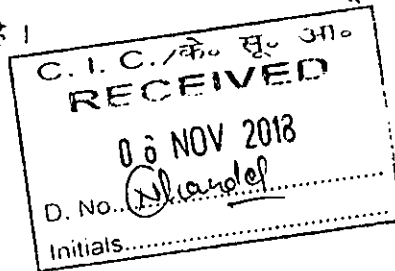
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	24.09.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	08.10.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. पी. गोवर
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	27.10.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	505/01.11.2018 (4888/31.10.2018)

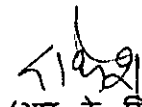
1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 24.09.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रेषित अपने दिनांक 09.06.2018 के पत्र पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री आर. पी. गोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर में श्री आर. पी. गोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM/R/2018/00946 के माध्यम से दिनांक 08.10.2018 को प्रदान की गई सूचना से अधोहस्ताक्षरी सहमत हैं तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।




(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।


05/11/18

